203

न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण नं. /13/निगरानी R 1391- III/13

राजू उर्फ कल्लू पुत्र गोकलिया जाति आदिवासी सहरिया निवासी चंदनखिरिया तहसील आरोन जिला गुना म.प्र.

.... आवेदक

विरूद्ध

1. नथुआ पुत्र रतना
2. दयाला पुत्र रतना
3. कल्याण पुत्र रतना
4. प्याई पुत्री रतना
5. सम्पतबाई पुत्री रतना

समस्त जाति आदिवासी (सहरिया) निवासीगण गनेशखेड़ा तहसील ईसागढ़, अशोकनगर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

दिनांक 8-2-13 श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि. द्वारा प्रस्तुत।
8-2-13 ASO
R 1391- III/13

8/4/2013

निगरानी अंतर्गत धारा 50 संशोधित कानून म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.02.13 जिसे तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण क्रमांक 508बी 121/11–12 में अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 509बी 121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 26.9.12 के पालन में पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।

1. यहकि, आवेदक व अनावेदक आदिवासी सहरिया जाति के व्यक्ति हैं।
2. यहकि, आवेदक ने अनावेदकगण से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.7.97 के द्वारा 61,000/– रुपये में ग्राम दहोरा पट्वारी हल्का नं. 24 परगना ईसागढ़ में स्थित सर्वे क्रमांक 1666/1 रकवा 0.167, सर्वे क्रमांक 1667/3 रकवा 366, सर्वे क्रमांक 1668 रकवा 0.240, सर्वे क्रमांक 1669

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 1391–तीन/2013 जिला–अशोकनगर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील ईसागढ़ जिला अशोकगनर के प्रकरण कमांक 508/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.09.12 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **कलेक्टर जिला अशोकनगर**	